

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

गोपाल सिंह

वनाम

लक्ष्मीकान्त लक्ष्मीलदार

किस्म मुकदमा


इजलास

नं.

13

सन्

2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
4-11-19	<p>वकील डिक्कीदार ने उपस्थित होकर इजलास पेश की। इजलास दर्ज मजिस्ट्रेट को जहाँ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्की को पालना हेतु लक्ष्मीलदार श्रीमाधोपुर को लक्ष्मीकान्त लक्ष्मीलदार को पेश करने दिनांक 29-11-2019 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। प्रकरण में राजकीय परोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिक्की व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 2082 दिनांक 21.11.2019 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>( लक्ष्मीकान्त गुप्ता ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	<p>34/रॉस्ट इजलास आदेश की पालना नं-नामा.सं.- 2082/दि.- 21.11.2019 दर्ज कर अमल दरामद किया जाया 14.06.2024 (राजपरोकार ना.तहसीलदार) श्रीमाधोपुर</p> 

17.06.2021